

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 24/2020

रजिस्ट्रेशन नं. :2020/00026

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

बनाम

श्री भरत कुमार जोधावत पुत्र श्री धनपाल
जोधावत जाति जैन मालिक मैसर्स भरत
कुमार किराणा स्टोर, प्रतापगढ़- बांसवाड़ा
मेन रोड, घाटोल तहसील घाटोल जिला
बांसवाड़ा, स्थायी पता- जैन मन्दिर के पास,
मु.पो.घाटोल जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा

श्री भरत कुमार जोधावत पुत्र श्री धनपाल
जोधावत


अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 30.09.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 30-06-2020 को यह इस्तमासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 08-02-2020 को 3.10 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स भरत कुमार किराणा स्टोर, प्रतापगढ़- बांसवाड़ा मेन रोड, घाटोल तहसील घाटोल पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री भरत कुमार जोधावत पुत्र श्री धनपाल जोधावत उपस्थित थे तथा विक्रेता की दुकान पर Iodised Salt (New Mahak) के 1 कि.ग्रा. के 20 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्रय हेतु रखे पाये। इसमें मिस ब्राण्ड एवं सब स्टेण्डर्ड का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं.5ए पर उक्त Iodised Salt (New Mahak) के 1 कि.ग्रा. वाले 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में जाँच हेतु खरीदे तथा इनकी किमत 40 रु. विक्रेता को युका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। विक्रेता से मौके पर उक्त Iodised Salt (New Mahak) के सम्बन्ध में पूछने पर उक्त माल क्रय के सम्बन्ध में सूचना नहीं दी। वास्ते निरीक्षण खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। जाँच हेतु खरीदशुदा उक्त चारो पैकेट को कागज के गत्तो के चार साफ सुखे एवं खाली बोकस में रखकर बोकस का मुह ढक्कन की सहायता से टेप लगाकर एयर टाईड बन्द किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बांसवाड़ा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्रांक 40 दिनांक 24.02.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बांसवाड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 23 दिनांक 20.02.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Iodised Salt (New Mahak) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.1) के तहत मिसब्राण्डेड, 3(1)(Z.X) के तहत सबरटैण्डर्ड होना पाये जाने से



(Handwritten signature)

विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 51 व साथ ही अप्रार्थी ने माल कर्हों से प्राप्त किया है कि सूचना नहीं देकर अधिनियम की धारा 27(3)(d) एवं सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 01-07-2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।


दिनांक 30-09-2020 को अभियुक्त श्री भरत कुमार जोधावत पुत्र श्री धनपाल जोधावत जाति जैन मालिक मैसर्स भरत कुमार किराणा स्टोर, प्रतापगढ- बॉसवाडा मेन रोड, घाटोल तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।


प्रकरण में आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक 40 दिनांक 24.02.2020 एवं खाद्य विश्लेषक, खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 23 दिनांक 20.02.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Iodised Salt (New Mahak) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.I) के तहत मिसब्रान्डेड, 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Z.I) के तहत मिसब्रान्डेड, 3(1)(Z.X) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) जो उक्त अधिनियम की धारा 52 एवं 51 व साथ ही अप्रार्थी ने माल कर्हों से प्राप्त किया है कि सूचना नहीं देकर अधिनियम की धारा 27(3)(d) एवं सहपठित धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है। जिस पर अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री भरत कुमार जोधावत पुत्र श्री धनपाल जोधावत जाति जैन मालिक मैसर्स भरत कुमार किराणा स्टोर, प्रतापगढ- बॉसवाडा मेन रोड, घाटोल तहसील घाटोल जिला बॉसवाडा को रूपये 15000/- (अक्षरे रु. पंद्रह हजार रूपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2020 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)